नईदुनिया



बांग्लादेश में मदरसा और मकान में लगी आग, धुएं की चपेट में आए 48 छात्र बेहोश

ढाका (बांग्लादेश)

देश में दो स्थानों पर लगी आग में बड़ी अनहोनी टल गई। हालांकि एक मदरसा में आग लग जाने से कम से कम 48 छात्र धुएं की चपेट में आने से बेहोश गए। दूसरी घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर लिखे जाने तक दोनों जगह आग बुझाई जा चुकी थी। छात्रों को अस्पताल ले जाया गया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पहली घटना नारायणगंज के फतुल्लाह इलाके के साइनबोर्ड स्थित जामिया अशरफिया मदरसा हुई। यहां ग लगने के बाद धुएं की चपेट में आने से कम से कम 48 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से तीन छात्र गंभीर हालत में इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। दमकल विभाग ने चार घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा दी।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के रेजिडेंट फिजिशियन सुल्तान महमूद सिकदर ने बताया कि धुएं के कारण बेहोश हुए 48 छात्रों को अस्पताल लाया गया है। इनमें से तीन की हालत गंभीर है। आईसीयू में भर्ती छात्रों के नाम यूसुफ (18), खैरुल (22) और जुबैर (18) हैं।

दमकल विभाग के अधिकारी शाहजहां ने बताया कि तड़के 3:44 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग पांच मंजिला मदरसा इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी। अस्पताल में इलाज करा रहे छात्रों ने बताया कि दूसरी मंजिल पर बनी लाइब्रेरी थी पूरी तरह जल गई है। प्रभावित छात्रों के हवाले से चिकित्सक सुल्तान महमूद सिकदर ने बताया कि माना जा रहा है कि आग मदरसे के एक हिस्से में बिजली के शार्ट सर्किट की वजह से लगी।

धुआं पूरी इमारत में तेजी से फैल गया, जिससे छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई। बाहर निकलने की जल्दबाजी में वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। धुएं की वजह से कई छात्रों के श्वसन तंत्र (सांस लेने के रास्ते) को नुकसान पहुंचा है। दूसरी घटना काक्स बाजार शहर के कलाटोली होटल-मोटेल जोन में हुई। यहां एक होटल के बगल में बने मकान में आग लग गई। आग सुबह करीब 6 बजे कलाटोली के शैकतपारा रोड पर लगी।

काक्स बाजार दमकल विभाग के अधिकारी सैयद मुहम्मद मोशेंद हुसैन ने बताया कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को काक्स बाजार मरीन ड्राइव के पास उखिया के इनानी में टुपटुप रेस्टो एंड रिसार्ट में लगी आग में 11 पर्यटकों की मौत हो चुकी है। इसके छह दिन बाद 23 अक्टूबर को काक्स बाजार शहर के सुगंधा पाइंट स्थित होटल सी प्रिंसेस में भी आग लग गई थी।

न्यूज ब्रीफ

तुर्किये के स्टील प्लांट में विस्फोट, 16 की मौत, 13 घायल, राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा-सारा देश दुखी



अंकारा (तुर्किये)। पश्चिमी तुर्किये के एक स्टील प्लांट में हुए विस्फोट में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत नाजुक है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने यहां कैबिनेट बैठक के फौरन बाद इसकी पुष्टि की। राष्ट्रपति ने कहा कि इजमिर के आलियागा जिले में हुए इस विस्फोट के कारणों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। तुर्किये के प्रमुख न्यूज चैनल टीएनटी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति एर्दोआन ने अंकारा के राष्ट्रपति भवन परिसर में कैबिनेट बैठक के बाद कहा, इस घटना ने पूरे देश को गहरा दुख पहुंचाया है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भी पहचान की जाएगी। इजमिर के गवर्नर सुलेमान एल्बान ने बताया कि यह विस्फोट स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 11:46 बजे (0846 जीएमटी) हबास आयरन एंड स्टील प्लांट में भट्ठी (फर्नेस) बदलने के दौरान हुआ। एल्बान ने बताया कि एक सीलिंग क्रेन गिर गई। इससे कुछ सामान एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जा गिरा। इसके कारण एक प्राकृतिक गैस लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और विस्फोट हो गया। उन्होंने शुरुआत में 10 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबे के नीचे चार लोगों के फंसे होने की आशंका है।

भारत ने रूस के इशारे पर मुझे और यूक्रेनियों को जेल में रखाः मैथ्यू

वाशिंगटन। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि



भारत ने उसे और कई यूक्रेनी नागरिकों को लगभग छह महीने तक जेल में रखा। वैनडाइक ने अपने इस अनुभव को यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से जोड़ा है, जिसका अर्थ है कि उसका दावा है कि यह सब रूस के इशारे पर हुआ। उसने आने वाले छह महीनों तक इस मामले पर कई हैरान कर देने वाले खुलासे करने की बात कही है। मैथ्यू वैनडाइक को वर्तमान में कुछ शर्तों के साथ अमेरिका भेजा गया है। भारत में रहने की उनकी अनुमति 24 फरवरी तक बढ़ाई गई है। इससे पहले, वैनडाइक को एक महीने के लिए अमेरिका भेजा गया था, जिसके बाद वह दिल्ली की अदालत में सुनवाई के लिए वापस लौटा था। उसे और छह अन्य यूक्रेनी नागरिकों को इस शर्त पर अपने देश जाने की इजाजत दी गई थी कि वे वापस आकर जांच में शामिल होंगे। शुरुआत में उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में एनआईए ने अपनी चार्जशीट से यह धारा हटा दी थी। अब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में वैनडाइक के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फारेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। उन पर और अन्य यूक्रेनी नागरिकों पर बिना इजाजत म्यांमार में घुसने और वहां के विद्रोही समूहों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप है।

नेतन्याहू की उम्मीदें बरकरार, प्रतिद्वंद्वी को छह सप्ताह का समय

तेलअवीव। इजरायल के आम चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध गहरा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बहुमत से दूर होने के बावजूद, सत्ता में वापसी की उम्मीदें नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी, याशर पार्टी के गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया है और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। आइजनकोट की पार्टी को चुनाव में 48 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 61 है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, नेतन्याहू भी पूरी कोशिश में लगे हैं कि आइजनकोट बहुमत साबित न कर पाएं। आइजनकोट बहुमत के लिए अरब पार्टियों से समर्थन जुटा रहे हैं, जिन्होंने उनके समर्थन की बात कही है। दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू ने राआम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास से संपर्क किया है। नेतन्याहू ने वोटिंग के दौरान और बाद में भी मंसूर अब्बास से संपर्क कर समर्थन की मांग की। हालांकि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए, उनकी सत्ता में वापसी आसान नहीं मानी जा रही है। नेतन्याहू के एक सहयोगी ने मंसूर अब्बास से पूछा था कि क्या वह वोटिंग के बाद आइजनकोट की सरकार बनाने में मदद करेंगे। इस पर मंसूर ने कहा कि पहले वह परिणाम आने का इंतजार करेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। बार-बार संपर्क करने की कोशिश करने पर मंसूर ने नेतन्याहू के सहयोगी से बात करना ही बंद कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब मंसूर अब्बास ने बात बंद कर दी, तो नेतन्याहू की ओर से कहा गया कि याशर पार्टी उनके गठबंधन को तोड़ना चाहती है, ऐसे में क्या वह अपने स्वाभिमान से समझौता करके उसका समर्थन करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी जासूसी के आरोपों से घिरे एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग का बचाव किया

वाशिंगटन (अमेरिका)

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया ने चीन की खुफिया गतिविधियों के निशाने पर आए अपने सह संस्थापक और सीईओ जेन्सेन हुआंग के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू की है। यह जांच उनके एलिस हुआंग नाम की एक चीनी बिजनेस एग्जीक्यूटिव से जुड़े होने के आरोपों के बाद सामने आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि एलिस हुआंग चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री आफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करती थीं। एनवीडिया की जांच की घोषणा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेन्सेन हुआंग को बेहतरीन इनसान बताते हुए बचाव किया है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग के दौरान जेन्सेन हुआंग को बहुत ही बेहतरीन इंसान बताया। उन्होंने कहा, एफबीआई किसी और मामले के सिलसिले में इसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जेन्सेन हुआंग से बात करके उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने कहा कि हुआंग ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिलाकी बात हो रही है, वह एक जासूस है।

हुआंग सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दिग्गज माने जाते हैं। उनपर एक संदिग्ध चीनी महिला जासूस के साथ संबंध रखने का आरोप लगा है। ट्रंप ने हुआंग को बहुत ही बेहतरीन इंसान बताया और उम्मीद जताई कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं पहुंचा होगा। ट्रंप ने कहा, जब मैंने इस बारे में सुना, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन इंसान मानता हूं और उन्हें लंबे समय से जानता हूं। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है—शायद वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी। उन्होंने यह सब एक चिप के जरिए हासिल किया है।

फाक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पहले हुआंग से बात कर पूछा कि क्या उन्हें उस महिला के चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़े होने की जानकारी थी। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह एक जासूस है। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। एनवीडिया के तकनीकी दबदबे का जिक्र करते हुए, ट्रंप ने कहा कि



हुआंग की इंजीनियरिंग उपलब्ध दुनिया भर में बेजोड़ हैं। राष्ट्रपति ने कहा, आप देखिए, उनके पास एक ऐसी चिप है जो 10 साल आगे की तकनीक है। इस चिप को कोई कापी भी नहीं कर सकता। वह वाकई कमाल के इंसान हैं।

चीनी जासूसी के इस कथित मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। अगर कोई समस्या होगी तो हम आपको बता देंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इस विवाद पर हुआंग का सार्वजनिक बयान देखा है। उन्होंने इस बात पर सहानुभूति जताई कि इस घटना की वजह से हुआंग को गंभीर व्यक्तिगत और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत तकलीफ में हैं। मैंने उनका बयान पढ़ा है और मुझे यकीन है कि वह बहुत परेशान हैं। खासकर अपने परिवार की वजह से। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं।

फाक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शेयरधारकों ने हुआंग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों से यह जानकारी छिपाई कि हुआंग के एक ऐसी महिला के साथ संबंध थे, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया के सैन होस में एक संघीय अदालत में दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एनवीडिया और हुआंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उन चिंताओं का खुलासा नहीं किया, जिनसे कंपनी की साख और कारोबार को नुकसान पहुंच सकता था। बताया जाता है कि हुआंग ने कर्मचारियों से स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने एलिस हुआंग के साथ अपने कथित संबंधों पर कुछ नहीं कहा। एलिस हुआंग, सिंगापुर स्थित चिप खरीदार कंपनी मेगास्पीड की पूर्व एग्जीक्यूटिव रही हैं।

चीन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को किसी चीनी खुफिया आपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया था। चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद अटकलें और चीन को बदनाम करने की कोशिश करार दिया।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उनसे द न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया था कि एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग की करीबी एक चीनी महिला बीजिंग को खुफिया जानकारी दे रही थी।

नेपाल में सात माह में नहीं हो सकी आयोगों में नई नियुक्ति



काठमांडू

नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग और बेपता पारिएका व्यक्तियों के लिए बने जांच आयोगों पिछले सात महीनों से पदाधिकारियों के बिना चल रहे हैं।

सरकार ने 5 मई 2026 को सार्वजनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त करने संबंधी विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2026 जारी किया था। इस के तहत दोनों आयोगों के तत्कालीन पदाधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया था। तब से नई नियुक्ति नहीं हो पाई है।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग में शुरुआत में 63,718 शिकायतें दर्ज हुई थीं। वर्ष 2024 में संबंधित कानून में संशोधन के बाद शिकायतें दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ा दी गई । इसके बाद 15 हजार से अधिक नई शिकायतें दर्ज हुईं। शिकायतों की कुल संख्या 78,909 हो गई।

राष्ट्रीय सभा के सदस्य और पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती ने कहा, आयोगों में कोई पदाधिकारी नहीं हैं, जबकि वहां काफी काम किया जाना बाकी है। आयोगों का पुनर्गठन होना चाहिए, शिकायतों की जांच होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। खाती राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति के तहत गठित उपसमिति द्वारा किए गए उस अध्ययन में भी शामिल थे, जिसमें कानूनों के कार्यान्वयन और संक्रमणकालीन न्याय की मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया ।

इस अध्ययन में पाया गया कि सरकार ने संक्रमणकालीन न्याय के मुद्दे को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है। खाती ने कहा, कानून और कार्यविधि बनाने के साथ-साथ राजनीतिक सहमति कायम करना, आयोगों की संस्थागत क्षमता मजबूत करना और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना भी आगे की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं दिख रहा है कि सरकार ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा है।

उन्होंने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्री ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन सरकार ने अब तक अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

नेपाल के वित्तमंत्री स्वर्णिम वाग्ले तुर्किये रवाना, जलवायु सम्मेलन में लेंगे हिस्सा



काठमांडू। नेपाल के वित्तमंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें कान्फ्रेंस आफ पार्टीज में हिस्सा लेने के लिए तुर्किये रवाना हो गए। वाग्ले टर्किश एयरलाइंस की उड़ान से काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जलवायु सम्मेलन के मेजबान शहर अंताल्या के लिए रवाना हुए। वह वहां नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे और जलवायु परिवर्तन तथा सतत आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर देश का पक्ष रखेंगे। इस दौरान उनके करीब आधा दर्जन उच्चस्तरीय सत्रों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। यह सम्मेलन 9 से नवंबर से शुरू हो चुका है। इसका समापन 20 नवंबर को होगा। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे विदेशमंत्री शिशिर खनाल पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। वाग्ले का 15 नवंबर को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया

वाशिंगटन (अमेरिका)

संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारी दबाव में आ गया है। केंटकी से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद थामस मैसी ने रक्षामंत्री (रक्षा सचिव/बदला पद नाम युद्धमंत्री) पीट हेगसेथ को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इस कदम से सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है। अब पार्टी के सांसदों को तय करना होगा कि वे ट्रंप प्रशासन के प्रमुख मंत्री का समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (निचला सदन यानी यूनाइटेड स्टेट्स हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में इस प्रस्ताव पर बुधवार तक मतदान हो सकता है।

अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, थामस मैसी ने महाभियोग प्रस्ताव में पीट हेगसेथ पर ईरान युद्ध को संभालने के उनके तरीके और अन्य कथित कदाचारों को लेकर सवाल उठाया गया है। इस पर होने वाला मतदान ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान किसी कैबिनेट सचिव के खिलाफ पहला महाभियोग हो सकता है। साथ ही, यह इस बात का संकेत भी है कि अगले साल जब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होगा, तो और कुछ देखने को भी मिल सकता है। हाउस फ्लोर पर महाभियोग के प्रस्ताव को पढ़ते हुए मैसी ने कहा कि



अगर हेगसेथ अपने पद पर बने रहते हैं, तो वे संविधान के लिए खतरा बने रहेंगे। उन्होंने अपने कर्तव्यों और कानून के शासन के बिल्कुल विपरीत काम किया है। उन्होंने कहा, सचिव हेगसेथ ने जानबूझकर एक विदेशी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए गैर-कानूनी आदेशों को लागू किया। उन्होंने कांग्रेस के संवैधानिक और कानूनी फैसलों की जगह अपनी गैर-कानूनी कार्यकारी कार्रवाई को थोप दिया। बाद में ही प्रेस कान्फ्रेंस में मैसी ने चेतावनी दी कि जब डेमोक्रेट्स सत्ता में आएंगे तो वे बहुत आक्रामक रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हेगसेथ अपने पद पर बने रहते हैं तो डेमोक्रेट्स सुनवाई करेंगे। हेगसेथ के साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ करेंगे और सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे। हेगसेथ ने महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित शोर-शराबा बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे और उनकी टीम इस कोशिश से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। रक्षा विभाग ने एक्सिओस की टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैसी ने पहली बार महाभियोग का प्रस्ताव तब पेश किया था जब हाउस (सदन) अवकाश पर जाने वाला था, ताकि सदस्य अपने चुनाव प्रचार में जा सकें। उन्होंने इस प्रस्ताव को फिर से पेश किया, जिससे हाउस के नेताओं के पास कार्रवाई करने के लिए दो विधायी दिनों का समय शुरू हो गया है। मैसी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों का आरोप है कि हेगसेथ ने कांग्रेस की अवहेलना की है। उन्होंने ईरान में उस अलोकप्रिय युद्ध को जारी रखा, जिसे बंद करने के लिए कांग्रेस ने विधायी प्रयास किए थे। कुल आठ प्रस्तावों में से तीन में हेगसेथ पर ईरान में कांग्रेस की युद्ध शक्तियों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अन्य आरोपों में नागरिकों की मौत, संदिग्ध नशीले पदार्थों वाली नावों पर हमले, सीनेटर मार्क केली के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, निकोलस मादुरो को पकड़ना और यमन में सैन्य अभियान जैसे कदाचार शामिल हैं।

शेख हसीना के नया पासपोर्ट मांगने की बीएनपी ने की आलोचना, सरकार का प्रत्यर्पण पर जोर

ढाका (बांग्लादेश)

देश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक महासचिव एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने कहा कि सत्ता से हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) मांगना बेशर्मी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है, जिसमें शर्म नाम की कोई चीज न हो।

बीएसएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सवाल किया, सालों तक छात्रों, बच्चों, मजदूरों और आम लोगों की अंधाधुंध हत्याएं करने के बाद शेख हसीना देश लौटने और जनता के स्वागत किए जाने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं रिजवी ने कहा कि शेख हसीना अब देश लौटने के लिए बेशर्मी से विदेशी ताकतों से समर्थन मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा।

रिजवी ने नेशनल प्रेस क्लब के काजी नजरुल इस्लाम आडिटोरियम में राष्ट्रीय क्रांति और एकजुटता दिवस के अवसर पर आयोजित एक चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ये बातें कहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन जिया परिषद ने किया।इसकी अध्यक्षता परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष और शेर-ए-बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डा. मो. अब्दुल लतीफ ने की।

रिजवी ने कहा कि हो सकता है शेख हसीना जुलाई विद्रोह को भूल गई हों, लेकिन बांग्लादेश की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि देश 2024 के विद्रोह के दौरान अबू सईद और मीर मुग्धा सहित उन युवाओं के बलिदान को हमेशा याद रखेगा।

7 नवंबर की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए रिजवी ने कहा कि इसकी भावना लोगों को तानाशाही का विरोध करने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और देश की स्वतंत्रता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार,



पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से अपनी प्रस्तावित वापसी के लिए औपचारिक रूप से एक नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें एक यात्री के रूप में वापस आने देने के बजाय प्रत्यर्पण संधि के जरिए वापस लाना चाहती है। विदेश मामलों के राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को खारिज करते हुए प्रत्यर्पण पर जोर दिया। वहीं गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार इस आवेदन की प्रमाणिकता, कानूनी आधार और प्रक्रियात्मक वैधता की जांच कर रही है।

इस बीच इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक ने इस कदम को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया और सवाल उठाया कि क्या हसीना वास्तव में वापस आना चाहती हैं। नवंबर 2025 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को कुचलने के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दी गई थी। शेख हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय में इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के आवेदन को पूरी तरह से बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी ऐसे भगोड़े को, जिसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, वापस लाने के लिए कोई सामान्य पासपोर्ट जारी नहीं करेगा। राज्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण संधि है। हसीना की वापसी इसी समझौते के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर वह सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत सरकार से कहना चाहिए कि उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। कबीर ने हसीना का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटिश ला फर्म की भी आलोचना की और इस आवेदन को दायर करने के कानूनी और नैतिक आधार पर सवाल उठाए। उन्होंने माना कि कोई भी व्यक्ति वकील रख सकता है और अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अपने आप पासपोर्ट पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। राजनयिक सूत्रों ने भी इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या इस आवेदन को सही तरीके से अधिकृत किया गया।